संख्या- 154/2016/1335/22-4-16-13जी/16

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-26 सितम्बर, 2016

विषय- प्रदेश की कारागारों के संयुक्त आकस्मिक निरीक्षण के समय निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति, गुणवत्ता एवं आधुनिकीकरण से सम्बन्धित कार्यों का भी निरीक्षण टिप्पणी में उल्लेख किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-04/2016-04जे0एल0/22-3-16-67/2015, दिनांक 06 जनवरी, 2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश की कारागारों की सुरक्षा एवं निषिद वस्तुओं का उपयोग रोकने हेतु कारागारों के संयुक्त आकस्मिक गहन निरीक्षण हेतु चेक प्वाइन्ट निर्धारित किये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कारागारों के संयुक्त आकस्मिक निरीक्षण के समय उक्त शासनादेश दिनांक-06.01.2016 में उल्लिखत चेक प्वाइन्ट के अतिरिक्त कारागारों में कराये जा रहे निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति, गुणवत्ता एवं आधुनिकीकरण से सम्बन्धित कार्यों यथा-जैमर, सीसीटीवी, पीसीओ, आर0ओ0 एवं वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली आदि का भी गहन निरीक्षण किया जाय एवं निरीक्षण टिप्पणी में निर्माण कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता तथा उपकरणों के समुचित ढंग से कार्य करने की स्थिति का अवश्य उल्लेख किया जाय।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या-154/2016/1335(1)/22-4-16-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, कारागार, उ0प्र0।
(3) समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक कारागार, उ0प्र0।
(4) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 दिवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in